(२४) 129

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः आर0के0 मिश्रा
सदस्य

प्रकरण कमांक अपील 1949–तीन/2006 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–3–2006 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 147/अपील/05–06.

जगदीश प्रसाद मिश्रा तनय स्व0 श्री माधवाचार्य मिश्रा
निवासी ग्राम गेरूई तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0
----- अपीलांट

विरूद्ध

म0प्र0 शासन
----- रिस्पोंडें

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी, अधिवक्ता, अपीलांट

:: आदेश ::
(आज दिनांक 29/01/2014 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 147/अपील/05–06 में पारित आदेश दिनांक 22–3–2006 के विरूद्ध भारतीय स्टाम्प एक्ट, 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जायेगा) की धारा 47–ए के तहत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने आराजी 430500/– रूपये में कय दस्तावेज पंजीयन कराया जहां पर उप पंजीयक ने पत्र कमांक 34 दिनांक 14.06.02 से बाजारूप कीमत कम प्रतीत होने पर मूल्य निर्धारण हेतु कलेटर आफ स्टाम्प रीवा को भेजा। जहां पर स्टाम्प कलेक्टर ने आदेश दिनांक 18.2.2005 से कमी मुद्रांक शुल्क रूपये 80,132/– एवं कमी पंजीयन शुल्क रूपये 6496/– कुल रूपये 86,622/– जका करने के आदेश आदेश दिये। कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा ने आदेश दिनांक 22–3–2006 से अपील निरस्त

की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

3– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया। अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया है और अपीलार्थी ने नोटिस का जबाव भी प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नाधीन आराजी शहर में स्थित होकर नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत आती है। कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन शुल्क कम पाते हुये आदेश पारित किया है। कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प द्वारा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया गया है जो विधि अनुकूल है जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप का कोई आधार इस अपील में नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील अस्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 22–3–2006 स्थिर रखा जाता है।

29/01/2019

(आर0 के0 मिश्रा)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर